

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय,
लखनऊ।
3. निदेशक,
प्राविधिक पालिटेक्निक परिसर, कानपुर।
4. निदेशक,
दयालबाग शिक्षण संस्थान,
दयालबाग, आगरा।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक) विभाग

लखनऊ: दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय:- राष्ट्रीय सेवा योजना-नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदान के मानक (ब्रेक-अप) का निर्धारण।

महोदय,

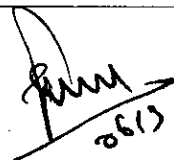
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के पत्रांक-डी0ओ0नं0जी0-20011/2/2022-एन0एस0एस0 दिनांक-11.05.2022 द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रम की पुनरीक्षित दरें क्रमशः रू0 400/- तथा रू0 700/-प्रति छात्र निर्धारित की गई है। दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप शासनादेश संख्या-1015/सत्तर-रा0से0यो0को0-2011-41/91 दिनांक- 02 जनवरी, 2012 को निरस्त करते हुए अवमुक्त अनुदान का मानक (ब्रेक-अप) निम्नानुसार पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

उत्तर प्रदेश शासन

राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा विभाग

नियमित गतिविधि छात्र संख्या-3,21,000 वर्ष 2022-23 से वित्तीय ब्यौरा व्यय की दर से 400/- प्रति छात्र वार्षिक

शीर्ष	प्रति छात्र धनराशि	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.
1. विश्वविद्यालय स्तरीय स्थापना प्रशासन एवं संगठन पर व्यय	40.00/-	(क) विश्वविद्यालय/मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक)/ क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रोकी गयी धनराशि रू0 40/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष वहाँ पर कार्यरत अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक तथा नोडल अधिकारी का आउट आफ पाकेट एलाउन्स, अंशकालिक कर्मचारियों के वेतन/मानदेय, स्टेशनरी, डाक टिकट, यात्रा व्यय, तथा आडिट फीस आदि पर व्यय किया जाय। इस मद में अवशेष धनराशि का सदुपयोग विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम, वार्षिक प्रगति आख्या तथा यथा समय उच्च स्तर से निर्देशित किये गये कार्यक्रमों पर यह धनराशि मितव्ययता पूर्वक व्यय की जाय। विश्वविद्यालय के पास तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध न होने पर रा0से0यो0 प्रकोष्ठ में विश्वविद्यालय द्वारा आउटसोर्स से कुशल कर्मचारी


06/3

		प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह इसलिए आवश्यक है कि रा0से0यो0 प्रकोष्ठ पर स्थापना मद में निर्धारित सीमा से ज्यादा व्यय भार नहीं आए।
कार्यक्रम समन्वयकों का आउट आफ पाकेट एलाउन्स		(ख) (i) छात्र संख्या-100 से अधिक किन्तु 3000 तक:- रू0 625/- अधिकतम प्रतिमाह
		(ii) छात्र संख्या-3000 से अधिक किन्तु 10000 तक:- रू0 750/- अधिकतम प्रतिमाह
		(iii) छात्र संख्या-10000 से अधिक:-रू0 1000/- अधिकतम प्रतिमाह
जिला नोडल अधिकारी का आउट आफ पाकेट एलाउन्स		प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना जिला नोडल अधिकारी को रू0 700/- प्रतिमाह माह की दर से विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना का अपेक्षित कार्य सम्पन्न करने के लिए यात्रा व्यय के रूप में 5000 वार्षिक सीमा के रूप में व्यय किया जायेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।
लेखा लिपिक/लिपिक कम टंकक		(ग) (i) छात्र संख्या-1000 छात्र तक:- 300 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(ii) छात्र संख्या-1000 से अधिक किन्तु 3000 तक:- 375 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iii) छात्र संख्या-3000 से अधिक किन्तु 10000 तक:- 625 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iv) छात्र संख्या-10000 से अधिक:- 875 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
चपरासी		(घ) (i) छात्र संख्या-1000 छात्र तक:- 125 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(ii) छात्र संख्या-1000 से अधिक किन्तु 3000 तक:- 185 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iii) छात्र संख्या-3000 से अधिक किन्तु 10000 तक:- 250 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
		(iv) छात्र संख्या-10000 से अधिक:- 375 रुपये अधिकतम प्रतिमाह (ड.) राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के निरीक्षण हेतु व्यय। (i) 5000 छात्र संख्या तक:- 7000 रुपये प्रतिवर्ष (ii) 5000 से 15000 की छात्र संख्या तक:- 21000 रुपये प्रतिवर्ष (iii) 15000 से अधिक छात्र संख्या:- अधिकतम 35000 रुपये प्रतिवर्ष व्यय किये जाय।
कुल राशि	40.00/-	
2- मुद्रण, डायरी एवं बैच एवं अन्य	15.00/-	(क) उक्त मद में विश्वविद्यालय स्तर पर रू0 15/- प्रति छात्र प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाईयों हेतु डायरी व बैज विश्वविद्यालय/माध्यमिक मण्डलों द्वारा क्रय करके विश्वविद्यालय परिसरों/महाविद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों/पालीटेक्निक संस्थाओं को, आवंटित छात्र संख्या के अनुसार उपलब्ध करा दी जाय। स्वयंसेविओं को प्रमाण-पत्र 120 घंटे प्रतिवर्ष तथा 02 वर्ष में 240 घंटे पूर्ण होने तथा एक सात (07) दिवसीय शिविर पूर्ण होने पर ऑनलाइन जारी किया जायेगा।
कुल राशि	15.00/-	
3- राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्तर	60/-	(क) अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट आफ पाकेट एलाउन्स:- 500 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
	22/-	(ख) अंशकालिक लिपिक को मानदेय:- 185 रुपये अधिकतम प्रतिमाह

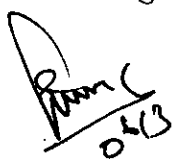
Amir
04/12

पर नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध रू0 345 प्रति छात्र की दर से उपलब्ध धनराशि निम्न सीमा तक व्यय की जाय।	15/-	(ग) अंशकालिक चपरासी को मानदेय:- 125 रुपये अधिकतम प्रतिमाह
	30/-	(घ) आवश्यक उपकरणों की खरीद
	30/-	(ङ) फोटो/स्टेशनरी/पोस्टेज/डाक्यूमेंटेशन (रिपोर्टिंग आदि) पर
	13/-	(च) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय पर
	80/-	(छ) नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती में एक दिवसीय शिविरों के आयोजन हेतु रू0 20/- प्रति शिविर प्रति छात्र की दर से जलपान इत्यादि।
	90/-	(ज) सरकार द्वारा देय अभियान तथा जन जागरूकता रैलियों का आयोजन, वृक्षारोपण, रक्तदान, युवा सप्ताह, पर्यावरण दिवस, मतदाता जागरूकता, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वच्छता कार्यक्रम, तथा विभिन्न दिवसों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों (रा0से0यो0 दिवस, गांधी जयन्ती, योग दिवस) आदि कार्यक्रमों के बैनर, जलपान एवं अन्य संसाधन हेतु व्यय।
	5/-	(झ) आनुषंगिक व्ययों हेतु
कुल राशि	345/-	
कुलयोग	400.00/-	

2. नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त रू0 400/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष अनुदान देय होगा, जिसमें से रू0 40/- प्रति छात्र विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र स्तर पर गठित राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के प्रशासनिक व्ययों हेतु संस्था स्तर पर रोका जाय तथा रू0 15/- प्रति छात्र डायरी, बैज व अन्य के लिए भी संस्था स्तर पर रोका जाय। शेष रू0 345/- प्रति छात्र इकाई स्तर पर आवंटित किया जाय।

3. आवंटित छात्र संख्या का 50 प्रतिशत छात्रों की भागीदारी विशेष शिविर कार्यक्रम में होगी। विशेष शिविर के अन्तर्गत दिन व रात मिलाकर आयोजित होने वाले सात (07) दिवसीय विशेष शिविर कार्यक्रम पर 700 रुपये प्रति छात्र प्रति विशेष शिविर की दर से अनुदान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों के भोजन, आवास, यातायात एवं शिविर के अन्य कार्यक्रमों की व्यवस्था पर व्यय किया जाय। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष शिविरों का आयोजन मात्र दिवसीय शिविर के रूप में सामान्यतः न किया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में दिवसीय शिविर शासन की पूर्वानुमति से आयोजित किये जायें, जिसमें रू0 20/- प्रति स्वयंसेवी प्रतिदिन के दर से व्यय किया जा सकता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई द्वारा अलग-अलग ग्राम/मलिन बस्ती का चयन/अभिग्रहण किया जाय तथा चयनित बस्ती/ग्राम की दूरी संस्था से 08 किमी से अधिक न हो। विशेष शिविर में सभी शिविरार्थियों की उपस्थिति शिविर के पहले दिन से (मध्याह्न 12.00 बजे से) शिविर के अन्तिम दिन (सायंकाल 04.00 बजे तक) आवश्यक है। ऐसा न होने पर शिविर निरस्त किया जा सकता है। साथ ही विशेष शिविर के आयोजन की पूर्व सूचना 07 से 15 दिन पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना की वेबसाइट—uponlinenss.upsdc.gov.in एवं अपने कार्यक्रम समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ तथा उ0प्र0 शासन को प्रेषित करनी होगी। वेबसाइट पर प्रत्येक दिन स्वयंसेवियों की उपस्थिति एवं कार्यक्रम के छाया चित्र अपलोड करने होंगे। ऐसा न होने पर विशेष शिविर का आयोजन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

4. उपरोक्त व्यय की मदों हेतु निर्धारित धनराशि उक्त मदों पर होने वाली व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा है। व्यय मितव्ययता के आधार पर किया जायेगा। उक्त मदों में बचत करके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य मदों में भी धनराशि व्यय की जा सकती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई में 01 लिपिक व 01 अनुसेवक तथा एक से अधिक इकाईयों की दशा में अधिकतम 01 लिपिक व 02 अनुसेवक से अधिक सम्बद्ध न किये जायें।


04/3

5. संस्थागत स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों के संचालन के लिए पृथक कार्यालय/स्टोर कक्ष तथा अन्य आवश्यक संरचनात्मक सुविधाएं व फर्नीचर इत्यादि सम्बन्धित संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जाय। राष्ट्रीय सेवा योजना के मद से खरीदी गयी सामग्रियों/उपकरणों आदि के लिए उपभोग्य (कन्ज्यूमेबल) तथा अनुपभोग्य (नान कन्ज्यूमेबल) दो प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाये जायें तथा संस्थाध्यक्ष द्वारा गठित समिति के माध्यम से वर्ष में कम से कम एक बार स्टोर का भौतिक सत्यापन कराया जाय। क्रीत सामग्रियों के बाउचर इत्यादि अभिलेख संस्था/इकाई स्तर पर ही सुरक्षित रखे जायें तथा बाउचरों का सत्यापन, व्यय करने वाले सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाय। आडिट के समय रोकड़ पुस्तक सहित सभी लेखा पुस्तकें व बाउचर प्रस्तुत किये जायें। आडिट के पश्चात् लेखा पुस्तकें व बाउचर इत्यादि पुनः संस्था/महाविद्यालय/विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जायें। संस्था से अभिप्राय विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र से है।
6. विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा मण्डल (माध्यमिक शिक्षा) तथा जोन (प्राविधिक शिक्षा) स्तर पर सेन्ट्रल नोडल एकाउन्ट (सी0एन0ए0) सब्सिडरी खाता शून्य बैलेन्स (ZBSA) चालू खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाय। इन खातों का संचालन शासकीय नियमों व सीमा के अन्तर्गत किया जाय। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई स्तर पर संस्थाध्यक्ष व वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के पदनाम से, विश्वविद्यालय परिसर की इकाईयों के सम्बन्ध में कुलसचिव व वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, विश्वविद्यालय में खाते कुलपति/वित्त अधिकारी तथा कार्यक्रम समन्वयक अथवा कुलपति द्वारा नामित वरिष्ठ आचार्य तथा माध्यमिक मण्डल पर उप शिक्षा निदेशक/ जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम से संयुक्त खाते खोले जायें। इकाई स्तर पर भी खातों का संचालन शासकीय नियमों व सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर, महाविद्यालय/विद्यालय (माध्यमिक) तथा पालीटेक्निक संस्थाओं की सलाहकार समिति में पारित बजट के अनुसार किया जाय।
7. राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर/कार्यक्रम की सूचना वेबसाइट पर आयोजित करने से पूर्व दी जाये कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले स्वयंसेविओं की उपस्थिति की सूचना एवं छाया-चित्र कार्यक्रम के दिन ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाय।
8. विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र कार्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों हेतु किये गये टेलीफोन पर अधिकतम ₹0 600/- प्रति माह की दर से सत्यापित बाउचरों के आधार पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जाय।
9. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत संस्था स्तर पर अवमुक्त सम्पूर्ण अनुदान का निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज से आडिट कराये जाने हेतु 1 प्रतिशत की दर से धनराशि आडिट फीस के लिए प्रतिवर्ष राजकोष में जमा की जाय तथा प्रतिवर्ष नियमित आडिट कराया जाय।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2022 अथवा योजना लागू करने की तिथि (जो बाद में हो) से प्रभावी होंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश संख्या-1015/सत्तर-रा0से0यो0को0-2011-41/91, दिनांक 02 जनवरी, 2012 को निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 28 (1)/सत्तर-रा0से0यो0को0-2023-41/91, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, सम्परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, रा0से0यो0, कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, 12/11, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली।
5. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, वाई0एस0-111, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0 क्षेत्रीय निदेशालय हाल नं0 - 1 आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच0, अलीगंज, लखनऊ।
7. कुलसचिव तथा वित्त अधिकारी/वित्त लेखा नियन्त्रक, रा0से0यो0 से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. लेखाधिकारी, समस्त सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा मण्डल, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, से सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या को पत्र निर्गत कराएं।
12. मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), से सम्बन्धित समस्त मण्डलों को इस आशय से प्रेषित कि वह इस शासनादेश की प्रति राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त इण्टरमीडिएट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा कार्यक्रम अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. संयुक्त शिक्षा निदेशक (प्राविधिक शिक्षा), से सम्बन्धित समस्त जोन को इस आशय से प्रेषित कि वह इस शासनादेश की प्रति राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा कार्यक्रम अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

\$